प्रेस नोट

दिनांक 23.09.2025

थाना मौदहा पुलिस द्वारा 02 वांछित अभियुक्त अवैध तमंचा/ कारतूस के साथ पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार।

आज दिनांक 23/09/2025 को समय करीब 08.00 बजे शाम जरिए मुखबिर खास प्रभारी निरीक्षक मौदहा एवं उनकी टीम को सूचना प्राप्त हुई कि थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 315/2025 धारा 109/191(3)/115(2)/352/351(3)(b) BNS में वांछित अभियुक्त शिवम उर्फ नीरज पुत्र नोखेलाल तथा आकीब उर्फ बाबू पुत्र रहमान निवासीगण रागौल कस्बा मौदहा ग्राम कपसा के पास स्थित पहाड़िया दाई मंदिर के निकट जंगल में देखे गए हैं जिस पर पुलिस टीम द्वारा तत्काल मौके पर पहुँचकर अभियुक्तगण की तलाश की गई तो अभियुक्तों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग करते हुए भागने का प्रयास किया पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ की गई जवाबी कार्यवाही में अभियुक्त शिवम उर्फ नीरज के बाएँ पैर तथा अभियुक्त आकीब उर्फ बाबू के दोनों पैरों पर गोली लगी पुलिस टीम द्वारा दोनों अभियुक्तों को मौके पर ही अवैध तमंचा एवं कारतूस सहित गिरफ्तार किया गया तथा उन्हें उपचार हेतु सीएचसी मौदहा भेजा गया आज हुई मुठभेड़ के संबंध में पुलिस मुठभेड़ व धारा 3/25/27 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया जा रहा है। अन्य वैधानिक कार्यवाही प्रचलित है।

ज्ञातव्य है कि दिनांक 12.09.2025 को समय करीब 23.30 बजे वादी स्वतन्त्र कुमार पुत्र रामेश्वर प्रजापति निवासी मुहल्ला रागौल, कस्बा व थाना मौदहा, जनपद हमीरपुर द्वारा उपस्थित थाना मौदहा आकर तहरीर दी गई। वादी द्वारा बताया गया कि दिनांक 08.09.2025 को नीरज पुत्र नोखेलाल निवासी रागौल कस्बा व थाना मौदहा तथा बाबू पुत्र रहमान निवासी ग्राम मांचा थाना मौदहा, जनपद हमीरपुर (वर्तमान पता: मोहल्ला रागौल, थाना मौदहा) उसकी खड़ी मोटर साइकिल पर बैठने लगे। मना करने पर वादी तथा उसके भाई अतीत के साथ उपरोक्त दोनों व्यक्तियों का विवाद हो गया था।

उक्त पुरानी रंजिश को लेकर दिनांक 12.09.2025 को समय करीब 18.00 बजे 1.नीरज (शिवम) पुत्र नोखेलाल 02.बाबू (आकिब खान) पुत्र रहमान, 03.दिलावर पुत्र हफीज (निवासी ग्राम कम्हरिया थाना मौदहा, हाल निवासी रागौल) तथा दो अज्ञात व्यक्ति एक राय होकर वादी के भाई अतीत व लक्ष्मी के साथ मारपीट करने लगे। मारपीट के दौरान अभियुक्त बाबू द्वारा जान से मारने की नियत से वादी के भाई अतीत (उम्र करीब 24 वर्ष) के कंधे में गोली मार दी अभियुक्तगण गाली-गलौज करते हुए तथा जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से फरार हो गए।

वादी की तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 315/2025 धारा 109/191(3)/115(2)/352/351(3) बीएनएस बनाम उपरोक्त के विरुद्ध पंजीकृत किया गया था । विवेचनात्मक कार्यवाही प्रचलित है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त

1.नीरज उर्फ शिवम पुत्र नोखेलाल (उम्र करीब 22 वर्ष)

2.अकिब उर्फ बाबू पुत्र रहमान, (उम्र करीब 24 वर्ष) निवासीगण ग्राम कम्हरिया थाना मौदहा, हाल पता रागौल मौदहा हमीरपुर।

बरामदगी का विवरण-

01 अदद तमंचा 315 बोर, 02 अदद खोखा व 02 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर व 900/- रुपये (बाबू उर्फ आकिब खान)

01 अदद तमंचा 315 बोर, 02 अदद खोखा व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर व 600/- रुपये (शिवम उर्फ नीरज)

गिरफ्तार करने वाली टीम :-

1. नि0 उमेश कुमार सिंह (प्र0नि0 थाना मौदहा)	2. उ0नि0 विनेश गौतम
3. उ0नि0 अभिषेक त्रिवेदी	4. उ0नि0 दीशान्त खोखर
5. का0 रंजीत	6. का0 विजय प्रताप
7. का0 आशिफ शेख	8. का0 धर्मेन्द्र कुमार
9.उ0नि0 सचिन शर्मा (प्रभारी एस0ओ0जी0 मय टीम)	10.का0 रवि पटेल सर्विलांस